न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–01/2023

मताल किस्कू एवं अन्य

बनाम

देवीलाल हेम्ब्रम एवं अन्य

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद अपीलकर्त्ता 1. मताल किस्कू, पिता–स्व0 सीराम किस्कू 2. बुद्धीश्वर मराण्डी, पिता–बीरभूम मराण्डी, 3. जनाथन सोरेन, पिता– गिरिश सोरेन, 4. नरेन हेम्ब्रम, पिता–स्व0 जमीन हेम्ब्रम 5. चुण्डा किस्कू, पिता–सीराम किस्कू एवं सोम हांसदा, पिता– स्व0 धारा हांसदा कमांक 01, 02, 04, 05 एवं 06 का सा0–छोटा बरमसिया, थाना– पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ एवं 03 का वर्त्तमान सा0– खुरूकडांगा, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0डी0 वाद सं0–02/2020–21 में दिनांक 22.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में 1. झारखण्ड राज्य एवं 2. देवीलाल हेम्ब्रम (प्रधान), पिता–स्व0 लोदो हेम्ब्रम, वर्त्तमान सा0– छोटा बरमसिया, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया है।

मामला यह कि इस वाद के अपीलकर्त्तागण द्वारा अंचल पाकुड़िया के मौजा–छोटा बरमसिया के ग्राम प्रधान देवीलाल हेम्ब्रम पर कतिपय आरोप लगाते हुए उसे प्रधान पद से बर्खास्त करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पी0डी0 वाद सं0–02/2020–21 संस्थित करते हुए सुनवाई की गई। ग्राम प्रधान देवीलाल हेम्ब्रम के विरूद्ध विचाराधीन एक अन्य पी0डी0 वाद सं0–02/2021–22 को पी0डी0 वाद सं0–02/2020–21 के साथ संलग्न किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पारित आदेश द्वारा आवेदकगण (इस वाद के अपीलकर्त्तागण) द्वारा दाखिल आवेदनों को खारिज कर दिया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

दिनांक 07.11.2023 को उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा–छोटा बरमसिया एक प्रधानी मौजा है जिसके वर्त्तमान ग्राम प्रधान देवीलाल हेम्ब्रम है। देवीलाल हेम्ब्रम मौजा–छोटा बरमसिया के जमाबन्दी रैयत नहीं है बल्कि दूसरे मौजा–कटालदिधी के जमाबन्दी सं0–44 के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

जमाबन्दी रैयत है, परन्तु इस तथ्य को छुपा कर उनके द्वारा प्रधानी पद पर अपनी नियुक्ति करवा लिया गया। विपक्षी सं0–02 देवीलाल हेम्ब्रम द्वारा प्रधानी मान भूमि पर अपने पद का दुरूपयोग कर अपना घर बना लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी नाला की भूमि 50,000/– (पचास हजार) रूपये लेकर मौजा–छोटा बरमसिया के एक पाण्डू संथाल को दे दिया गया है। उनका आगे कहना है कि देवीलाल हेम्ब्रम पारा शिक्षक भी है तथा एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो पद धारित नहीं कर सकते है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़िया का जांच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) करते हुए पुर्नसुनवाई हेतु निम्न न्यायालय को रिमाण्ड करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0–02 देवीलाल हेम्ब्रम के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधान देवीलाल हेम्ब्रम पर लगाए गए आरोप गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्तागण के आरोपों की जांच अंचल अधिकारी, पाकुड़िया से कराई गई थी। अंचल अधिकारी, पाकुड़िया द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

विपक्षी सं0–02 मौजा– छोटा बरमसिया के जमाबन्दी सं0–48 के खतियानी रैयत हाड़मा हेम्ब्रम का परपोता है। अपीलकर्त्ता द्वारा 50,000/–(पचास हजार) रूपये लेकर सरकारी नाला की भूमि किसी को दिये जाने संबंधी आरोप गलत है एवं इस आरोप की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

उनका आगे कहना है कि विपक्षी सं0–02 उसी ग्राम में पारा शिक्षक है। SPT Act 1949 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ग्राम प्रधान किसी सरकारी पद को धारित नहीं कर सकते है। विपक्षी सं0–02 के द्वारा साक्ष्य के रूप में मतदाता सूची की प्रति एवं आधार कार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया गया। अपीलकर्त्तागण का मुख्य आरोप यह है कि विपक्षी सं0–02 देवीलाल हेम्ब्रम मौजा–छोटा बरमसिया के जमाबन्दी रैयत नहीं है। उनके द्वारा प्रधानी मान की भूमि पर घर बना लिया गया है। सरकारी नाला की भूमि 50,000/– (पचास हजार) रूपये लेकर किसी व्यक्ति को दे दिया गया है एवं ग्राम प्रधान पारा शिक्षक भी है। एक ही व्यक्ति दो पद धारित नहीं कर सकते है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक 534 / रा0, दिनांक 13.06.2021 द्वारा निम्न न्यायालय में प्रेषित प्रतिवेदन जो अभिलेखबद्ध है का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–02 मौजा–छोटा बरमसिया के जमाबन्दी सं0–48 के खतियानी रैयत हाड़मा हेम्ब्रम के परपोता है। इस संदर्भ में विपक्षी सं0–02 द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत मतदाता सूची एवं आधार कार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0–02 देवीलाल हेम्ब्रम, ग्राम– छोटा बरमसिया, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के निवासी है। सरकारी नाला की भूमि रूपये लेकर किसी व्यक्ति को दिए जाने संबंधी आरोप की पुष्टि हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। विपक्षी सं0–02 के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वे मौजा–छोटा बरमसिया में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है। SPT Act 1949 & SPT Rules 1950 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ग्राम प्रधान को किसी सरकारी नौकरी / नियोजन करने से मना करता है। SPT Rules 1950 के Schedule –V में यह प्रावधान है कि " The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village." यह भी स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान का पद कोई लाभ का पद नहीं है। अतः उक्त आरोप भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जहां तक प्रश्न प्रधानी मान भूमि पर घर बनाने का है तो इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि घर का निर्माण वर्त्तमान ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया गया है अपितु उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उक्त बिन्दुओं पर विवेचना की गई है एवं निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21.11.23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

21.11.23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 11:16:04 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner